

निबंधित

संचिका संख्या-ए०/नोट-५३/१५...../जे०,

विधि विभाग

बिहार सरकार

प्रेषक,

मनोज कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
भोजपुर (आरा)।

पटना, दिनांक-.....

**विषय:-** नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को मूल में वापस लौटाने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि आपके न्यायमंडल में कार्यरत अधिवक्ताओं से नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु आपके द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्रों में से निम्नांकित आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण रहने के कारण मूल में लौटाया जाता है। प्रत्येक आवेदन पत्र में त्रुटि से संबंधित सूची संलग्न है। इस संबंध में लौटाये जा रहे आवेदन पत्रों को संबंधित अधिवक्ताओं को भेजते/प्राप्त कराते हुए इन्हें कृपया निदेशित किया जाय कि वे संबंधित त्रुटियों को दूर कर आपके माध्यम से आवेदन पत्र को आपके कार्यालय में प्राप्ति तिथि से 15 दिन के अन्दर त्रुटि सुधार कर आपके कार्यालय में प्राप्त करायें जिसे आपके कार्यालय द्वारा शीघ्र विधि विभाग को समय सीमा के अन्दर स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराया जाय अन्यथा उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत समझा जायेगा तथा बाद में प्राप्त किसी आपत्ति/अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

इस संबंध में आवश्यक सूचना विधि विभाग के वेबसाइट-[www.law.bih.nic.in](http://www.law.bih.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

**अनु०:-** संलग्न सूची एवं आवेदन पत्र।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-...../जे०, पटना, दिनांक-.....।५.-०९.-१५।

**प्रतिलिपि:-** सचिव, जिला विधिक संघ भोजपुर (आरा) एवं संबंधित अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनु०:-** संलग्न सूची।

(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

४०१०८

८

जिला-भोजपुर (आरा) नृगिर्वाण नामक पत्र की १२वीं

क्र०सं०	आवेदक का नाम व पता	विभाग में आवेदन प्राप्ति की तिथि	त्रुटि
1	2	3	4
1.	श्री सूर्य नारायण सिंह, पिता-स्व0 राधो सिंह, ग्रा0-भागवतपुर, पो0-जलपुरा, जिला-भोजपुर, आरा।	30.03.2011	आपका आवेदन पत्र सीधे विधि विभाग को भेजा गया है जबकि इसे सक्षम प्राधिकार के माध्यम से आना चाहिए था।